APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

बाला उ देवकरण बनाम सरकार

किस्म मुकदमा इजराय नं. 32 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/7/25	पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र बाबत करवाये जाने पालना आदेश दिनांक 21.08.2000 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक मु0 कोटा वास्ते पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माननीय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक मु0 कोटा द्वारा दिनांक 21.08.2000 को निर्णय पारित कर ग्राम बालिता के खसरा नं0 759 की रकबा 0.48 है0 का खातेदार वादी को घोषित किया गया है। अतः माननीय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक मु0 कोटा की पालना की जावे। इजराय दर्ज रजिस्टर कर पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा को पत्र जारी किया गया। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रकरण में विवादाग्रस्त आराजी के सम्बंध में मौका स्थिति एवं रेकॉर्ड की जॉच की गई। वर्तमान में खसरा नं0 759 रकबा 0.48 भूमि ग्राम बालिता नगर विकास न्यास कोटा (धारा 92) के खाते दर्ज रिकॉर्ड है एवं जिस पर बाला उर्फ देवकरण पुत्र भवाना काबिज काश्त है। तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। इजरायदार की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में निर्णय दिनांक 21.08.2000 की पालना किये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 759 की भूमि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत नगर विकास न्यास कोटा को हस्तान्तरित कर दी गई। प्रार्थी ने धारा 92 राज0 ले0 रे0 एक्ट के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं करी है। धारा 92 के आदेश को निरस्त कराये बगैर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें। पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। बाद अवलोकन यह स्पष्ट है कि वर्तमान में विवादित ख0न0 के नगर विकास न्यास के खाते दर्ज हो जाने के कारण स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 759 की भूमि धारा 92 की कार्यवाही के पश्चात नगर विकास न्यास कोटा के अधिकारिता में है। प्रार्थी ने धारा 92 राज0 ले0 रे0 एक्ट के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। धारा 92 के आदेश को निरस्त कराये बगैर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। जिस कारण से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कोटा	